

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय  
मुख्य कारखाना प्रबंधक  
सडिपुका भोपाल

पत्रांक : सडिपुका/भो/का/केडर/पुनर्नियोजन

दिनांक : 09.05.2018

मुख्य सूचना अधिकारी  
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

विषय : सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों को मासिक वेतन के आधार पर रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने के नोटिफिकेशन पश्चिम मध्य रेल के बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में ।

-X-

उपरोक्त संबंध में लेख है कि सडिपुका/पमरे/भोपाल के यंत्रिक, विद्युत एवं कार्मिक विभाग में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मासिक वेतन के आधार पर विविध कैटेगरी के शिक्तियों के विरुद्ध रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने के लिए नोटिफिकेशन पश्चिम मध्य रेल के बेबसाईट पर अपलोड किया जाना है । बेबसाईट पर फंटर पेज पर "Notification for Re-engagement of Retired Railway Employee in CRWS, Bhopal लिखा होना चाहिए ।

कृपया संलग्न पीडीएफ फाईल WCR बेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें ।

संलग्न:-01 पीडीएफ फाईल

  
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक  
सडिपुका,भोपाल

क्रमांक : सडिपुका/का/केडर/पुनर्नियोजन

दिनांक 05.05.2018

## अधिसूचना

विषय :- सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने के संबंध में।

-X-

रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG) 11/2010/RC-4/6 दिनांक 27.09.2012, दि.16.10.2017 एवं मुख्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/का.मुख्या./रूलिंग/सेवा.कर्म.पुनर्नियो. दिनांक 05.01.2017 में दिये निर्देशों के तहत सडिपुका/पमरे/भोपाल के यांत्रिक, विद्युत एवं लिपिकीय संवर्ग से सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को रेल सेवा में पुनर्नियोजित किये जाने की आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पुनर्नियोजन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा।

पुनर्नियोजन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

1. आवेदन उन सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से मंगाये जाते हैं जिनका रेल सेवा व रिकार्ड संतोषजनक हो तथा जिन्हें वर्कशाप में कार्य का अनुभव हो, MLR Workshop में अनुभव प्राप्त सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को प्राथमिकता दी जायेगी (केवल तकनीकी संवर्ग के लिए)।
2. आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति से 3 माह पूर्व भी उपरोक्त अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं।
3. यह एक खुली अधिसूचना है एवं आवेदन हर वक्त स्वीकार्य हैं, जब तक की यह स्कीम लागू है। वर्तमान में यह योजना दिनांक 01.12.2019 तक वैध है।
4. जो भी आवेदन प्राप्त होगा उसे रिकार्ड में रखा जायेगा और जब भी प्रशासन को आवश्यकता होगी उक्त आवेदन पर विचार किया जायेगा और सडिपुका प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। इस अधिसूचना पर आवेदन देने पर यह जरूरी नहीं है कि सडिपुका प्रशासन द्वारा उक्त आवेदन पर विचार किया जावे।
5. पुनर्नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी एवं किन्ही भी परिस्थितियों में इस अधिकतम आयु की सीमा को सेवानिवृत्त कर्मचारी की पुनर्नियोजन अवधि में बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. Safety Related Retirement Scheme/Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) के अंतर्गत सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
7. चिकित्सा परीक्षण संबंधी नीति जो IRMM के पार्ट 1 पैरा 58 पर उल्लेखित है के अनुसार सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर कर्मचारी की ड्यूटी सार्वजनिक संरक्षा से संबंधित हो तो कर्मचारी को नये सिरे से चिकित्सा परीक्षण करानी होगी। यदि कर्मचारी की ड्यूटी का प्रभाव केवल अपनी और / अपने साथी कर्मचारी के संरक्षा पर हो पड़ता हो तो डाक्टरी परीक्षा तभी की जायेगी यदि उसकी सेवानिवृत्ति और पुनर्नियुक्ति के बीच एक वर्ष या अधिक अंतराल हो और/या यदि वह सेवा में बना रहता तो उसकी आवधिक डाक्टरी परीक्षा का समय हो चुका होता है। अन्य सब मामलों में डाक्टरी परीक्षा तभी की जायेगी जब सेवानिवृत्ति तथा पुनर्नियुक्ति में एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक का अंतराल हो।
8. पुनर्नियोजन से पूर्व कर्मचारी की उपयुक्तता/क्षमता जांची जायेगी एवं उनके सेफटी रिकार्ड/सक्षमता को ध्यान में रखा जायेगा।
9. पुनर्नियोजित कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाये जाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सेफटी एवं अन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं को अच्छे से बताया गया है।

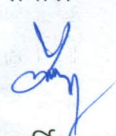
10. पुनर्नियोजित कर्मचारी को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG) 11/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार निर्धारित दरों पर मासिक वेतन Monthly Wages = [Last Basic Pay + DA on Last Pay] - [Basic Pension + DA on Basic Pension] देय होगा। (सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुनर्नियोजन के प्रत्येक एवं सभी प्रकरणों में मासिक वेतन + पूर्ण पेंशन मिलाकर प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा)
11. आरआरबी से चयनित कर्मचारी के ज्वाइन करने पर या नियमित कर्मचारी के पदोन्नति होने पर पुनर्नियोजित कर्मचारी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
12. पुनर्नियोजित कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये पुनः नियुक्ति का प्रावधान समाप्त करने का अधिकार सडिपुका/भोपाल प्रशासन के पास होगा।

सडिपुका/भोपाल के निम्न पदों को जरूरत पडने पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पुनर्नियोजन से भरे जाने का प्रस्ताव है।

| विभाग    | क्रमांक | केटेगरी/पद   | वेतनमान + ग्रेड पे    |
|----------|---------|--------------|-----------------------|
| यांत्रिक | 1       | एसएसई        | 9300-34800 + 4600 L-7 |
|          | 2       | जेई          | 9300-34800 + 4200 L-6 |
|          | 3       | वरि.तक. *    | 9300-34800 + 4200 L-6 |
|          | 4       | तक- I *      | 5200-20200 + 2800 L-5 |
|          | 5       | तक- II *     | 5200-20200 + 2400 L-4 |
|          | 6       | तक- III *    | 5200-20200 + 1900 L-2 |
|          | 7       | हेल्पर       | 5200-20200 + 1800 L-1 |
| विद्युत  | 1       | एसएसई        | 9300-34800 + 4600 L-7 |
|          | 2       | जेई          | 9300-34800 + 4200 L-6 |
|          | 3       | वरि.तक. *    | 9300-34800 + 4200 L-6 |
|          | 4       | तक- I *      | 5200-20200 + 2800 L-5 |
|          | 5       | तक- II *     | 5200-20200 + 2400 L-4 |
|          | 6       | तक- III *    | 5200-20200 + 1900 L-2 |
|          | 7       | हेल्पर       | 5200-20200 + 1800 L-1 |
| कार्मिक  | 1       | कार्या. अधी. | 9300-34800 + 4200 L-6 |
|          | 2       | वरि. लिपिक   | 5200-20200 + 2800 L-5 |
|          | 3       | कनि. लिपिक   | 5200-20200 + 1900 L-2 |
|          | 4       | आशुलिपिक     | 5200-20200 + 2400 L-4 |

\* विद्युत विभाग के ग्रुप ईटीएल/ओएसएम एवं यांत्रिक विभाग के ट्रेड वेल्डर, फिटर, पेन्टर, कोच रिपेयर, आपरेटर, मशीनिस्ट एवं मिलराईट

इच्छुक एवं पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, पश्चिम मध्य रेल, निशातपुरा, भोपाल - 462010 को भेजने की व्यवस्था करें।

  
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी  
 कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक  
 सडिपुका/प.म.रे./भोपाल

मुख्य कारखाना प्रबंधक  
सडिपुका/पमरे/भोपाल

Photo

रेल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति उपरान्त पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

1. पद एवं ग्रेड पे. जिसके लिए आवेदन किया है .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता का नाम .....
4. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम/कार्यालय .....
5. विभाग .....
6. भविष्यनिधि क्र. /टिकट नं. ....
7. वेतनमान /ग्रेड पे. ....
8. जन्म तिथि .....
9. भर्ती तिथि .....
10. शैक्षणिक योग्यता .....
11. स्थाई पता .....
12. जाति (सामा., अ.जा., अ.ज.जा., अपिव) .....
13. सेवानिवृत्ति की तिथि .....
14. पीपीओ नं. (प्रति संलग्न हैं) .....
15. कुल सेवाकाल (सेवाप्रमाण पत्र संलग्न हैं) .....
16. 65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि .....
17. पैन कार्ड नं. (प्रति संलग्न हैं) .....
18. आधार कार्ड नं. (प्रति संलग्न हैं) .....
19. बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, खाता नं.  
आई.एफ.एस.सी. कोड, ब्रांच इत्यादि)  
(प्रति संलग्न है) .....
20. मोबाईल नं. ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा भरी गयी जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।

संलग्न .....

.....

.....

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

स्थान : .....

दिनांक : .....